JAMIA MILLIA ISLAMIA
(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली-110025

टेली : 26984075, 26988044
: 26985176, 26981717
फैक्स : 26980229
ईए मेल : sashraf@jmi.ac.in
वेबसाइट : http//jmi.ac.in

جامعہ ملیہ اسلامیہ

कुलसचिव कार्यालय

Office of the Registrar

F.No.03/L&O/RO/JMI/2016 February 17, 2016

NOTIFICATION

This is to notify for the information of all concerned that the President of India in his capacity as the Visitor of Jamia Milllia Islamia has been pleased to accord his assent for amendment/addition to the existing Clause 6 of Statute 2 of JMI Act, 1988 by incorporating the age limit of 65 years of senior-most Professor who shall discharge duties of the Shaikh-ul-Jamia (Vice-Chancellor) when the Vice-Chancellor is not available, as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher Education vide their letter No.F.6-5/2015-Desk-U dated 2nd February, 2016.

The amended Clause 6 of Statute 2 as approved would now be read as shown in the Annexure.

Shahid Ashraf

(Prof. Shahid Ashraf)
Registrar Sd/-

Copy for information & necessary action to:-

1. The Secretary to the Govt. of India, MHRD, New Delhi
2. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi
3. The Under Secretary, Ministry of HRD, (Deptt. of Higher Education), New Delhi
4. All Deans of Faculties/DSW/Directors/Hony. Directors of the Centres/HoDs, JMI
5. The Controller of Examinations, JMI
6. The Chairperson, Standing Committee for Act, Statutes & Ordinances (SC-ASO), JMI
7. The Hony. Coordinator (L&O), JMI
8. The Hony. Director, FTK Centre for Information Technology, JMI
9. The Additional Director, FTK Centre for Information Technology, JMI – with the request to incorporate in the appropriate place of the University's Statutes and also for display on the Jamia's Website.
10. The Finance Officer, JMI
11. The Jt. Registrar (HRD), JMI
12. The Asstt. Registrar (Admn.), JMI – He is requested to please get the correction incorporated in the printed copies of Jamia Act, Statutes available in his Branch.
13. The OSD (Establishment), JMI
14. The Media Co-ordinator, JMI
15. The Hindi Officer, JMI - with the request to pursue uploading on University's website and updating the amendment in the relevant Statute.
16. The Secretary to the Vice-Chancellor, JMI
17. The Asstt. Registrar (Legal & Ord.), JMI
18. The Asstt. Registrar (A&C), JMI
19. The Asstt. Registrar (R.O.), JMI
20. File /Folder

SUKhan

Assistant Registrar
(Legal & Ordinance Cell)

ANNEXURE

***Amended Statute 2 captioned* "The Shaikh-ul-Jamia (Vice-Chancellor)"**
as approved vide MHRD No.F.6-5/2015-Desk-U dated February 2, 2016

Amendment in Para 6 of the
Statute 2 of Jamia Millia Islamia

Para No.	Existing	Amended
2(6)	Provided that if the Naib Shaikh-ul-Jamia (Pro-Vice-Chancellor) is not available, the senior most Professor shall discharge the duties of the Shaikh-ul-Jamia (Vice-Chancellor) until a new Shaikh-ul-Jamia (Vice-Chancellor) or the Shaikh-ul-Jamia (Vice-Chancellor), as the case may be, assumes office.	Provided that if the Naib Shaikh-ul-Jamia (Pro-Vice-Chancellor) is not available, the senior most Professor, **who has not attained the age of superannuation of 65 years**, shall discharge the duties of the Shaikh-ul-Jamia (Vice-Chancellor) until a new Shaikh-ul-Jamia (Vice-Chancellor) or the Shaikh-ul-Jamia (Vice-Chancellor), as the case may be, assumes office.

Registrar
Jamia Millia Islamia
(A Central University)
New Delhi-110025

JAMIA MILLIA ISLAMIA
(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammad Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

जामिया मिल्लिया इस्लामिया
(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविधालय)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली-110025

टेली : 26984075, 26988044
: 26985176, 26981717
फैक्स : 26980229
ईए मेल : sashraf@jmi.ac.in
वेबसाइट : http//jmi.ac.in

جامعہ ملیہ اسلامیہ

कुलसचिव कार्यालय | Office of the Registrar

फा. नं 03/एल.एंड ऑ/आर.ओ./जा.मि.इ./2016 — 17 फरवरी, 2016

अधिसूचना

सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 के मौजूदा परिनियम 2 के खंड 6 में संशोधन/परिवर्धन हेतु अपनी सहमति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत वरिष्ठतम प्रोफेसर की आयु सीमा को 65 साल तक निर्धारित किया गया है और जो कुलपति की गैर मौजूदगी में शैख–उल–जामिया (कुलपति) के दायित्वों को निभाएँगे, जिसके बारे में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. एफ.6–5/2015–डेस्क–यू, दिनाँक 2 फरवरी, 2016 द्वारा सूचित किया है।

यथाअनुमोदित परिनियम 2 के खंड 6 को आगे से दिए गए अनुलग्नक के अनुसार पढा जाए ।

शाहिद 18/2/16
(प्रो. शाहिद अशरफ़)
कुलसचिव

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि :

1. सचिव, भारत सरकार, मा.सं.वि.मं., नई दिल्ली
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
3. अवर सचिव, मा.सं.वि. मंत्रालय, (उच्चतर शिक्षा विभाग), नई दिल्ली
4. जा.मि.इ. के सभी संकायाध्यक्ष/डीन, छात्र कल्याण/केन्द्रों के निदेशक/मानद निदेशक/विभागाध्यक्ष, जामिइ
5. परीक्षा नियंत्रक, जा.मि.इ.
6. अध्यक्ष, अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश की स्थायी समिति (एससी–एएसओ), जा.मि.इ.
7. मानद कॉर्डिनेटर (विधि एवं अध्यादेश), जा.मि.इ.
8. मानद निदेशक, एफ.टी.के. सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जा.मि.इ
9. अपर निदेशक, एफ.टी.के. सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, जा.मि.इ.–इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त को विश्वविद्यालय के परिनियम में उपयुक्त स्थान पर शामिल किया जाए तथा साथ ही जामिया की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।
10. वित्त अधिकारी, जा.मि.इ.
11. संयुक्त कुलसचिव (मा.सं.वि.), जा.मि.इ.
12. सहायक कुलसचिव (प्रशा.), जा.मि.इ.– आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखा में उपलब्ध जामिया अधिनियम, परिनियमों की मुद्रित प्रतियों में कृपया संशोधन करवाएँ।
13. विशेष कार्याधिकारी (स्थापना), जा.मि.इ.
14. मीडिया समन्वयक, जा.मि.इ.
15. हिन्दी अधिकारी, जा.मि.इ. – इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोडिंग का अनुसरण किया जाए तथा संबंधित परिनियम में संशोधन को अपडेट किया जाए।
16. कुलपति के सचिव, जा.मि.इ.
17. सहायक कुलसचिव (विधि एवं अध्यादेश), जा.मि.इ.
18. सहायक कुलसचिव (ए एण्ड सी), जा.मि.इ.
19. सहायक कुलसचिव (कुलसचिव कार्यालय), जा.मि.इ
20. फाइल/फोल्डर

सहायक कुलसचिव
(विधि एवं अध्यादेश प्रकोष्ठ)

अनुलग्नक

मा.सं.वि.मं. सं. एफ.6–5/2015–डेस्क–यू, दिनाँक 2 फरवरी, 2016 द्वारा यथाअनुमोदित संशोधित परिनियम 2 अनुशीर्षक "शैख़–उल–जामिया (कुलपति)"

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के परिनियम 2 के पैरा सं 6 में संशोधन

पैरा सं.	मौजूदा	संशोधित
2(6)	प्रावधान है कि नायब शैख–उल–जामिया (सम कुलप्रति) के न होने पर वरिष्ठतम प्रोफ़ेसर तब तक शैख–उल–जामिया (कुलपति) के दायित्वों को निभाएंगे जब तक कि नए शैख़–उल–जामिया (कुलपति) या शैख–उल–जामिया (कुलपति) अपना पदभार न संभाल लें, जैसा भी मामला हो।	प्रावधान है कि नायब शैख–उल–जामिया (सम कुलप्रति) के न होने पर वरिष्ठतम प्रोफ़ेसर, **जिन्होंने अधिवर्षिता की 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो**, तब तक शैख–उल–जामिया (कुलपति) के दायित्वों को निभाएंगे जब तक कि नए शैख़–उल–जामिया (कुलपति) या शैख–उल–जामिया (कुलपति) अपना पदभार न संभाल लें, जैसा भी मामला हो।

शाहिद 3.2.2016